राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : दयानन्द रूयल, तहसीलदार

मिसल संख्या : 258 / 18

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019 निर्णय दिनांक :

राजस्थान सरकार बनाम बनवारी पुत्र कानाराम जाति बागरिया नि0 पांचवा

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जेठूराम पुत्र सोमूराम जाति बागरिया निवासी पांचवा नें ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 271 कुल रकबा 21.57 हैक्टेयर में से रकबा 0.0150 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2075 में छड़ियों का बाड़ा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति अतिकमी स्वय ने प्राप्त कि। अप्रार्थी स्वय उपस्थित हुआ तथा जवाब व आबादी भूमि का पट्टा की प्रति पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ हैं, जो आबादी की भूमि है। उक्त भूमि अतिक्रमण नही होना बताया गया। प्रस्तुत पट्टा की छाया प्रति जो कि साक्ष्य में ग्राहय योग्य दस्तावेज नही है एवं पूर्ण विश्वसनीय दस्तावेज भी प्रतीत नही होता है।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पट्टा की प्रति के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना –पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं उक्त भूमि आज दिन भी राजस्व रीकोर्ड में गैर मु. गौचर दर्ज है। गैर मु. गौचर किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में है जिसमें कभी भी किसी तरह का स्वामित्त प्राप्त नही हो सकता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि

तहसीलदार कुचामन
जिला- नागौर

अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है अप्रार्थीगण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, की डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सोमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 की पालना में ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 271 कुल रकबा 21.57 हैक्टेयर गै.मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.0150 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगाान 0.08 का पच्चास गुणा से राशि 4/– अक्षरे चार रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानन्द रूयल)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0

मॉंग कायमी रा.ले.स.-4
पृष्ठ संख्या 39
वर्ष 20-21
रा.जुर्माना –
क.निलामी –
गोचर जुर्माना 04
प्रा.पैदावार –
तराले कुचामन सिटी